Bansal (Uttarakhand), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand).

Concern over damage caused to crops by wild animals in Morni Hills area of Haryana

श्री कार्तिकेय शर्मा (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान हरियाणा की मोरनी हिल्स क्षेत्र में किसानों द्वारा झेली जा रही एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा फसलों की बर्बादी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। वहां वर्षों से किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति इतनी विकट हो गई है कि किसानों का खेती करना कठिन होता जा रहा है। इन क्षेत्रों में लगभग 393 गांव हैं, 26 पंचायतें हैं और 22,000 लोग रहते हैं। इनमें करीब 65% लोग हल्दी, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों की खेती करते हैं।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां के किसान पहले से ही पानी की कमी से परेशान रहते हैं और उनको इन समस्याओं का सामना करते हुए भी किसानी करनी पड़ती है। उसके बाद, जब बड़ी मुश्किलों से फसल खड़ी होती है, तो उनको जंगली जानवरों से नुकसान का डर बना रहता है। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ ऐनिमल साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, हाथी और नीलगाय जैसे वन्य जीव 10 राज्यों में 30% से 50% तक अनाज और बागबानी फसलों को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। हाल ही में, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" की कवरेज में जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को भी शामिल किया गया है। यह सरकार का एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, लेकिन किसान और वन्य जीवों, दोनों के हितों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोकथाम नीति बनाने की अति आवश्यक जरूरत है, ताकि फसल को नष्ट होने से पहले ही बचाया जा सके।

महोदय, हम इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की बात करें या मानव-पशु संघर्ष के खतरे की बात करें, इस समस्या के ऐसे कई गहरे प्रभाव हैं। एक किसान जब महीनों की मेहनत करके अपनी फसल खड़ी करता है और ऐन मौके पर उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर जो आर्थिक तथा अन्य समस्याएं आती हैं, ये वही जानता है, इसलिए हमें उनका संज्ञान लेना चाहिए। इस समस्या के जो प्रमुख कारण हैं, उनमें मुख्यतः वन क्षेत्र का सिमटना और संरक्षण उपायों की कमी है। मैं चाहे सोलर फेंसिंग की बात करूं या मजबूत बाड़ लगाने की बात करूं, ऐसे अनेक उपाय हैं, जिनसे इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है।

महोदय, इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए सोलर फेंसिंग एक बहुत ही प्रभावी उपाय हो सकता है। विशेष वन्य जीव प्रबंधन के लिए सरकार के वन विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए, जिससे जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या पर भी नियंत्रण हो सके और प्रशासन के समन्वय के साथ उनकी समस्या का संज्ञान भी लिया जा सके। इसके साथ ही, जंगली जानवरों के लिए वैकल्पिक भोजन इत्यादि मुहैया कराने की जरूरत है और सामुदायिक भागीदारी के स्थानीय निगरानी तंत्र को भी सक्षम करने की जरूरत है।

महोदय, यह केवल मोरनी हिल्स क्षेत्र के किसानों की ही समस्या नहीं है, बल्कि जिन फॉरेस्ट एरियाज़ के आसपास किसानी होती है, वहां के किसानों को भी यही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kartikeya Sharma: Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Dr. John Brittas (Kerala), and, Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Demand to revoke delisting of Indian Seafood Companies from EU and export restrictions to the Customs Union (Russian Federation) and United Kingdom

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to draw your attention to a grave issue concerning demand of Indian fish and shrimp export companies for revoking the delisting of Indian seafood companies from European Union, export restrictions for the Customs Union (Russian Federation) and the United Kingdom, and, significant challenges being faced by the shrimp industry currently.

Sir, for decades, the Indian shrimp industry has been a substantial contributor to the India's economy. The European Union remains one of the most promising markets for Indian seafood, particularly, the shrimp, with its steady demand playing a crucial role in securing valuable foreign exchange for India.

Seafood Exporters Association of India has appealed several times to the Government, explaining all the facts for relaxing Indian seafood companies from 'suspension orders' imposed since 2017 by the European Union authorities on Indian seafood exporters. It is to inform that no further action has been taken by the EU authorities to restore the EU status for the delisted Indian shrimp companies.

Some of the companies were already approved to export to the Customs Union (Russian Federation) by the Export Inspection Council (EIC), India. The said companies are not yet listed in the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) approved establishment list at Customs Union (Russian Federation). On account of this, the approved companies are unable to export to Customs Union.

Some of the EU delisted companies have been re-listed by the United Kingdom Health Authorities in their official websites on 30th January, 2023. However, these re-listed companies are not yet permitted to export to UK as the decision is still pending with the UK Government for further clearance. Hon. Chairman, Sir, it is well aware that during the pandemic situation, shrimp exporters faced several problems like congestion in operating ports at destination, etc. In this crucial situation, if permissions are granted to the seafood exporters for exporting to European Union countries, Customs Union (Russian Federation) and the United Kingdom, it will be an